न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 04 / 2020

1 महावीर प्रसाद पुत्र ताराचन्द आयु 55 वर्ष जाति माली निवासी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश प्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद जाति महाजन पेशा व्यापार निवासी चिड़ावा हाल आबाद 24 बडतल्ला स्ट्रीट कोलकाता प्रिंसिपल ट्रस्टी राय सूरजमल बहादुर चैरिटेबल ट्रस्ट जरिये तथाकथित मुख्यतार सोनू शर्मा पुत्र गोविन्दराम आयु 30 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2 ज्ञाना देवी बेवा ताराचन्द।
3 सरबती पुत्री ताराचन्द।
4 घोघड़ी पुत्री ताराचन्द।
5 सुशीला पुत्री ताराचन्द।
6 नानी बाई पुत्री ताराचन्द।
7 रामा पुत्री ताराचन्द।
8 गोपाल पुत्र सावतराम उर्फ सांवतराम।
9 माडूराम पुत्र सावतराम उर्फ सांवतराम समस्त जाति माली निवासीगण चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
10 नगरपालिका चिड़ावा जिला झुंझुनू।
11 तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28.02.1997 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी महोदय झुंझुनू मुकदमा उनवानी
जगदीश बनाम ताराचन्द अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट
एवं आ. 39 नि. 1 व 2 सपठित धारा 151 मुकदमा
नम्बर 05/1995

उपस्थिति :

1. श्री मनोज बजाज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री लोकेश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 25.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा संख्या 05/1995 मे पारित निर्णय दिनांक 28.02.1997 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। धारा 5 पर उभयपक्ष को सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट/प्रार्थी विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के आदेश दिनांक 28.02.1997 से व्यथित है क्योंकि विचारण न्यायालय बिना अपीलांट के खातेदारी रिकार्ड एवं पत्रावली पर आयी कब्जे की रिपोर्ट का बिना अवलोकन किये ही विधि विरूद्व पारित किया है अपीलांट्स ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.12.2016 को अ.आ. 01 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा में अपीलांट को भी पक्षकार बनाया जाकर प्रतिवादी बनाये जावे। जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 02.01. 2017 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा में प्रतिवादी संख्या 6

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बनाया गया और दावा में संशोधित शीर्षक दिनांक 11.09.2018 को पेश किया गया। अपीलांट मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पक्षकार नहीं था। अपीलांट को दिनांक 10.01.2020 को जानकारी हुई कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.1997 को अपीलांटस की खातेदारी की भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने का निर्णय विधि विरूद्व पारित किया है। जिससे अपीलांट/प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड़ा है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील की सुनवाई विधिवत रूप से किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के यहां दावा में प्रार्थना 14 नियम 2 सीपीसी के प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वाद में कायम विवादक 5 संख्या कानूनी बिन्दु पर बनाई गई है जिसका निर्णय प्रारम्भिक स्तर पर ही किया जाना आवश्यक है उक्त तनकी वादी ट्रस्ट लोक न्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत राजस्थान में पंजीकृत नहीं होने के आधार पर बनी थी इस बाबत अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया उक्त प्रार्थना पत्र को तय करने पर उभय पक्षकारान के वकील ने सहमति जताई थी ओर यह कानूनी बिन्दु प्रारम्भिक स्तर पर ही तय करने पर सहमत होते हुए। साक्ष्य की विधि का विवेचन कर कर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश किया गया कि वादी ट्रस्ट कोलकाता में नियमानुसार पंजीकृत है तथा राजस्थान राज्य के नियमों का पंजीयन आवश्यक नही है लिहाजा तनकी प्रतिवादी संख्या 5 प्रतिवादीगण के तय निर्णय विरूद्व की गई और उक्त आदेश पर आगे अपीलांट के पिता ताराचन्द व गोपालराम, माडुराम ने उक्त निर्णय विचारण न्यायालय के दिनांक 14.05.2004 के आदेश की निगरानी पीए 12519/2004 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान में प्रस्तुत की उक्त निगरानी के विचाराधीन रहने के दौरान ताराचन्द की मृत्यु दिनांक 13.11.2008 को हो गई जिस पर दिनांक 09.12.2011 को अपीलांट ने मय शपथ पत्र आवेदन कायम मुकाम अन्तर्गत आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

22 व नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी उक्त निगरानी ताराचन्द बनाम महेश तुलस्यान व अन्य में प्रस्तुत उक्त आधारों पर की अपीलांट के पिता का देहान्त दिनांक 13.11.2008 को हो गया। अपीलांट ने उक्त निगरानी में आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने पिता ताराचन्द के समस्त विधिक वारिसान का उल्लेख कर निवेदन किया कि महावीर एवं ताराचन्द के अन्य विधिक वारिसान के उक्त निगरानी में हुए अबेटमेंट को निरस्त किया जाकर ताराचन्द के आवेदन पत्र में वर्णित सभी विधिक वारिसान जो न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन अपील में भी पक्षकार हैं। उक्त पक्षकारान को रिकोर्ड पर लिया जाकर ताराचन्द का नाम पत्रावली से हजफ फरमाया जाकर ताराचन्द के उक्त वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर चाराजोई करने के लिए प्रतिस्थापित किया जावें, अपीलांट ने उक्त आवेदन पत्र में तथ्य दर्ज किया कि अपीलांट को पूर्व में न्यायालय के समक्ष निगरानी याचिका विचाराधीन होने की कोई जानकारी नहीं थी अपीलांट महावीर दिनांक 04.12.2011 को अपने चाचा के यहां गया तब उसको उक्त निगरानी याचिका के विचाराधीन होने की जानकारी मिली तब महावीर अपीलांट ने अभिभाषक से संपर्क किया और उन्हे निगरानी गुजार संख्या 1 अपने पिता का स्वर्गवास होने की जानकारी दी तो उन्हें ताराचंद की मृत्यु की तारिख व वारिसों के नाम पते लेकर आने को कहा जो इक्टठे कर महावीर ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया स्पष्ट रूप से यह साबित है कि अपीलांट महावीर प्रसाद को उक्त समस्त प्रकरण की जानकारी थी दिनांक 04.11.2011 से स्वयं अपीलांट ने होनी दर्ज की अपीलांट विबन्ध के सिद्धान्त से पाबन्द है। विबन्ध के सिद्धान्त के अनुसार अपनी कही हुई बात से काई थी पक्षकार नहीं मुकर सकता उक्त अपीलांट महावीर का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.05.2012 को 500/– रूपये की कोर्ट फीस पर स्वीकार हुआ तथा उक्त निगरानी का निर्णय दिनांक 15.10.2012 को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा किया गया। जिसमें निगरानी खारिज कर पत्रावली उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा को वापिस लौटाई गई। तब से उक्त प्रकरण विचारण न्यायालय में विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

है। उक्त तथ्यो से भी भली भांति शाबित है कि निर्णय दिनांक 28.02.1997 की जानकारी दिनांक 23.05.2012 से भी अपीलांट को पूर्ण से रही है ऐसे में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम जवाब प्रार्थना पत्र जो खारिज फरमाने योग्य है। जो खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली में रेस्पोडेंट द्वारा फर्द के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पीए12519/2004 के लम्बित रहते अपीलांट के पिता ताराचन्द की मृत्यु होने पर अपीलांट ने दिनांक 09.12.2011 को आवेदन कायम मुकाम अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 मय शपथ पत्र निगरानी में प्रस्तुत किया गया था। इन दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को विचाराधीन निर्णय दिनांक 28.09.1997 की जानकारी दिनांक 23.05.2012 से रही है। यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। अपीलांट ने इसका कोई खण्डन पेश नही किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ लेने का अधिकारी नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 खारिज किया जाता है एवं अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से एवं अपीलांट धारा 5 का लाभ लेने का अधिकारी नही पाये जाने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर